

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

गोपी बनाम वशीद (वगैरा)

क्रिस्म मुकदमा प्रा.पत्र 111-128 नं० 55 सन् 2020

नाक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
-----	----------------------------------	--

6-20 वाद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें। पत्रावली दिनांक 7-7-20 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल

7-20 उभय पक्ष उपस्थित पीएसीन अधिकारी राजकीय कार्य में बाध हैं। अतः पत्रावली दिनांक 28-7-20 को पेश हो।

रीडर
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

28-7 उभय पक्ष उपस्थित पीएसीन अधिकारी राजकीय कार्य में बाध हैं। अतः पत्रावली दिनांक 7-8-20 को पेश हो।

रीडर
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

7-8-20 पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थीगण उपस्थित, अप्रार्थीगण 01 लगायत 07 व 9 के सम्मन बाद तामील होकर प्राप्त हुए जिले शामिल पत्रावली किये गये, वकील प्रार्थीगण विपक्षी सं. 8 के विकट कोई कार्यवाही नहीं करते हैं अप्रार्थीगण के कितनी भर्त्सा आवाजे दिलायी जाने उपरान्त भी उपस्थित नहीं उनके विकट एक तरफा कार्यवाही किये जाने के कारण पिये जाते हैं। तहसीलदार माण्डल से रिपोर्ट प्राप्त हुई जिले शा.पत्र कि. गई, वकील प्रार्थीगण का प्रा.पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय मुकद से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फेरल शुमार होकर वावर दाखिल हो।

प्रीती देवी देवी
पत्रावली दिनांक 7-8-20

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला मीलवाड़ा



राजस्थान - सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

अधिकारी-गहीपाल सिंह, आर.ए.एस.

दस्ता संख्या - 55/20 प्रा.पत्र

श्री गोपीवं. श्री गणेश शुर्जर निवासी-रूपपुरा तहसील माण्डल (कोटा)

-प्रार्थी

बनाम

श्री गोविंद उ० श्री नियाज अल मुसलमान निवासी-रूपपुरा तहसील माण्डल (कोटा)
(प्रा.पत्र की फौजी कोपी संलग्न है)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 07-08-20

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम रूपपुरा पटवार हल्का तुहारिया तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी नं. 558/15, 659/167 कुल किता 0.2 रकबा 0.8 बीघा 10 बिरवा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा बिन्दु ही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जायें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 03.06.20 को पंजीवद्ध किया जाकर रिकॉर्ड को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काशत काशत की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा-फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम रूपपुरा पटवार हल्का तुहारिया तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 558/15, 659/167 कुल किता 0.2 रकबा 0.8 बीघा 10 बिरवा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक तुहारिया 450/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा